

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

शीर्षक श्रीमती सुरोज

बनाम

श्रीमती

अन्तर्गत

128 CR 100

रुदमा

प्राथमिक पत्र

नं.

12

सन् 2021

(2021/34)

दिख क्रम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
143 2021	<p>प्राथमिक पत्र द्वारा इस्तेवकता प्रकी इयाक्ति विपकी लखना 1 तै 6 एवं 8 अनुयाक्ति/अवगत लागवई गमी। उपस्थित नही हुए अतः इसके विजू एक पक्षीय कार्यवाही के आरोप रिपोर्ट को प्रकीण पत्र 022 R 4 जा. पी. पर बहल इस्तेवकता प्रकी हुनी गमी। प्रा. पत्र 022 R 4 जा. पी. (बीफार) किता जाका विपकी लखना 7 का नाम तर्क किए जाने के आरोप रिपोर्ट है। बहल प्राथमिक पत्र द्वारा 128 CR 100 हुनी गमी। हमने प्राथमिक का उपलोकन पर बहल इस्तेवकता प्रकी या गहनता से अतः किता प्रकीया अपनी श्रोतगरी अमी की पक्षगदी कारण पावती है अतः प्रकीया का प्रकीण पत्र स्वीकार किता जाका गाम लेती तस्वील चित्तौड़गढ़ सि. म. आराजी संख्या 23/2/11/33 रकम 0.5000 रु. अमी की किता प्रकी के कलजे से दरखलनाजी किए लेखलेख नक्शे अनुमा पक्षगदी किए जाने के आरोप रिपोर्ट है। कमिशनर शुल्क 8000.00 आर. ले. ए. ए. प्रकीया बहल कोगी। पालनाली तस्वील का चित्तौड़गढ़ को लिख जसे कि पक्षगदी से लिखित हुयनी इका निम्नांकित पक्षगदी कर की जावे एवं पालना रिपोर्ट च्यापण से प्रस्तुत करें। प्राथमिक कार्यवाही शुमा होवा नक्शे से कम हो।</p>	

(रजम सुन्दर किशोर्)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)